



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या- 1954/2015.....

जिला.....जयपुर.....

उनवान-मै0 राजस्थान मार्केटिंग, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, वृत्त-एम, जयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व अहकाम हुकम की में जारी
28.11.2017	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री राजीव चौधरी-सदस्य</u> <u>श्री के.एल.जैन-सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री अशोक हंसारिया तथा प्रत्यर्थी की ओर से श्री एम.के. वैद उपस्थिति। विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त अपील विद्झा करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें यह अंकित किया गया कि अपीलार्थी यह अपील आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त अपील जरिये विद्झा खारिज किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री एम.के. वैद ने प्रस्तुत अपील को विद्झा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है।</p> <p>फलस्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील विद्झा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील संख्या 1954/2015/जयपुर जरिये विद्झावल (Withdrawal) खारिज की जाती हैं।</p> <p>निर्णय/आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य 28/11/17 राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>	